

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.संस्था/एफ-4/विदेश यात्रा/1260/2018 दिनांक- 13/12/18

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, (मुख्यालय)
कोटा।


विषय:-श्रीमती कुसुमलता चौहान,अ0 राप्रावि, पीपलडा की झोपडिया,ताथेड जिला कोटा को विदेश यात्रा की अनुमति बाबत।

प्रसंग:-आपका पत्रांक 722 दिनांक 02.11.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है, कि श्रीमती कुसुमलता चौहान,अ0 राप्रावि, पीपलडा की झोपडिया,ताथेड जिला कोटा जनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 12.05.1996 है तथा राज्य सेवा मे स्थाई रूप से कार्यरत है, को दिनांक 25.12.18 से 30.12.2018 तक की अवधि में सिंगापुर हेतु विदेश यात्रा की अनुमति निम्नांकित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:-


1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार मे आवेदित अवकाश मे किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. विदेश मे किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
4. विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
5. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं नां ही राजकीय स्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
6. विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
8. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पतों से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराएँगे।
9. यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।
10. विदेश यात्रा अवधि मे शाला मे अध्ययन कार्य बाधित नहीं होना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ:-

1. पीईईओ एवं प्रधानाचार्य राउमावि ताथेड, जिला कोटा।
2. श्रीमती कुसुमलता चौहान,अ0 राप्रावि, पीपलडा की झोपडिया,ताथेड जिला कोटा
3. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर